वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 86 और 87 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये दिनांक 01.04.2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 24 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 24 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) अनुज्ञप्ति की मंजूरी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन कलक्टर को प्ररूप क में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन के साथ शीर्ष 0030 के अधीन कोषालय में विहित फीस संदत्त करने वाला ई-ग्रास चालान होगा:

परन्तु अनुज्ञप्ति की मंजूरी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन प्ररूप कक में इलैक्ट्रोनिक रूप से भी किया जा सकेगा।";

(ii) उप-नियम 3 के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और" हटायी जायेगी;

(iii) उप-नियम 3 के खण्ड (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "समकक्ष परीक्षा;", के स्थान पर अभिव्यक्ति "समकक्ष परीक्षा; और" जोड़ी जायेगी;

(iv) इस प्रकार संशोधित उप-नियम 3 के खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड (घ) जोडा जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) कि वह राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।";

(v) उप-नियम (4) के खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " "शीर्ष 0030 रजिस्ट्रीकरण स्टाम्प विविध" के अधीन विहित फीस संदत्त करने वाला कोषालय चालान और जिसमें 5 रु. (रुपये पांच मात्र) का न्यायालय फीस लेबल लगा होगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "शीर्ष 0030 के अधीन कोषालय में विहित फीस संदत्त करने वाला ई-ग्रास चालान" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(vi) उप-नियम (6) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " "शीर्ष 0030 रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प विविध के अधीन" " के स्थान पर अभिव्यक्ति "शीर्ष 0030 के अधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 48 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 48 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आवेदन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "आवेदन इलेक्ट्रोनिक रूप से या अन्यथा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 53 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 53 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''स्वयं के हाथ से अभिलिखित की जायेगी'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तीन मास के भीतर स्वयं के हाथ से अभिलिखित की जायेगी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 57 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 57 के खण्ड (iii) में,

(i) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पश्चात् और विद्यमान तृतीय परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह भी कि लिखत में वर्णित तथ्यों की सत्यता का अभिनिश्चय करने के लिए और ऐसी लिखत में वर्णित अचल सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य के अवधारण के लिये, महानिरीक्षक स्टाम्प इलैक्ट्रोनिक युक्ति या अन्यथा के माध्यम से निरीक्षण की रीति और मानक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा।''; और

(ii) विद्यमान तृतीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''परन्तु यह और कि'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''परन्तु यह भी कि'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. प्ररूप ''क'' का संशोधन.– उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ''क'' में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''(पांच रुपये की कोर्ट फीस लेबल चिपकाया जाये)'' हटायी जायेगी; और

(ii) विद्यमान टिप्पण, ''1. पांच रुपये की कोर्ट फीस लेबल चिपकाइये'' के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''1. पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाइये।''

7. प्ररूप ''कक'' का अंतःस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न इस प्रकार संशोधित विद्यमान प्ररूप ''क'' के पश्चात् और विद्यमान प्ररूप ''ख'' के पूर्व, निम्नलिखित नया प्ररूप ''कक'' अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

''प्ररूप ''कक''

(नियम 24 देखिए)

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अधीन स्टाम्प विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप

○ नवीन अनुज्ञप्ति के लिए ○ नवीकरण के लिए

1.	आवेदक का पूर्ण नाम और निवास का पता	
2.	जन्म तिथि	
3.	विक्रय का स्थान जहां आवेदक स्टाम्प विक्रय करने की वांछा करता है	
	स्थान	
	नगर	
	तहसील	
	जिला	
4.	शैक्षणिक अहर्ताएं	
5.	रकम की सीमा जो आवेदक कोषालय से स्टाम्प क्रय करने में विनिधान करता है।	
6.	वर्तमान व्यवसाय, यदि कोई हो	
7.	क्या आवेदक अंशकालिक आधार पर या पूर्णकालिक आधार	

पर स्टाम्प विक्रेता के रूप में कार्य करना चाहता है

8. रिश्तेदार का नाम और पता, यदि कोई आवेदन दिये जाने की तारीख पर दस्तावेज लेखक या स्टाम्प विक्रेता के रूप में कार्य कर रहा है (रिश्ता कथित कीजिए)

9. क्या किसी दाण्डिक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है या सरकारी/निजी सेवा से हटाया गया है (विशिष्टियाँ दीजिए)

10. मोबाइल नम्बर

11. ई–मित्र आई.डी., यदि कोई हो

सुरक्षित और संदाय के लिए प्रक्रियाधीन	रद्द

जीआरएन नं. ________ रकम ________

दस्तावेज अपलोड कीजिए

फोटो	10वीं की अंकतालिका	पुलिस सत्यापन	मूल निवास प्रमाणपत्र
	चरित्र प्रमाणपत्र	ई–मित्र अनुज्ञप्ति	

सबमिट

टिप्पण:

निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियाँ अपलोड कीजिए :–

1. विहित फीस के जमा किये जाने के समर्थन में ई–ग्रास चालान
2. अनुज्ञप्ति के नवीकरण की दशा में पूर्व अनुज्ञप्ति की प्रति
3. जन्म तिथि के समर्थन में प्रमाणपत्र
4. माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 और प्ररुप ख में अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमति देता हूं।

स्थान : ....

तारीख : .... आवेदक के हस्ताक्षर''

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-117]

राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,

संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by section 86 and 87 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Stamp Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Stamp (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from 01.04.2017.

2. Amendment of rule 24.- In rule 24 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, hereinafter referred to as the said rules,-

(i) the existing sub-rule (1) shall be substituted by the following, namely:-

"(1) An application for grant of license or renewal of license shall be made in Form A to the Collector. The application shall be accompanied by e-GRAS challan of having paid the prescribed fees in the treasury under head 0030:

Provided that application for grant of license or renewal of license may also be made electronically in Form AA.";

(ii) in clause (b) of sub-rule (3), the existing expression "and" shall be deleted;

(iii) in clause (c) of sub-rule (3), for the existing expression "an equivalent examination;", the expression "an equivalent examination; and" shall be substituted;

(iv) after the clause (c) of sub-rule (3), so amended, the following new clause (d) shall be added, namely:-

"(d) that he is the bonafide resident of the State of Rajasthan.";

(v) in clause (b) of sub-rule (4), for the existing expression "treasury challan of having paid the prescribed fee under head "0030 Registration Stamps miscellaneous" and shall bear a court fee label of Rs. 5 (Rupees five only);", the expression "e-GRAS challan of having paid the prescribed fees in the treasury under head 0030;" shall be substituted; and

(vi) in sub-rule (6), for the existing expression "under head "0030-Registration and Stamps miscellaneous"", the expression "under head 0030" shall be substituted.

3. Amendment of rule 48.- In rule 48 of the said rules, for the existing expression "applications", the expression "applications in electronic form or otherwise" shall be substituted.

4. Amendment of rule 53.- In rule 53 of the said rules, for the existing expressions "must be recorded with his own hand", the expression "must be recorded with his own hand, within three months" shall be substituted.

5. Amendment of rule 57.- In clause (iii) of rule 57 of the said rules,-

(i) after the existing second proviso and before the existing third proviso, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that to ascertain the correctness of facts mentioned in the instrument and to determine the correct market value of the immovable property mentioned in such instrument, the Inspector General of Stamps may by order specify the method and norms of inspection through electronic device or otherwise."; and

(ii) in the existing third proviso, for the existing expression "provided further that", the expression "provided also that" shall be substituted.

6. Amendment of Form "A".- In Form "A" appended to the said rules,-

(i) the existing expression "(Court fee label to Rs. Five to be affixed)" shall be deleted; and

(ii) the existing Note "1. Affix Court fee label of Rs. Five." shall be substituted by the following, namely:-

"1. Affix passport size photograph."

7. Insertion of Form "AA".-After the existing Form "A", so amended and before the existing Form "B" appended to said rules, the following new Form "AA" shall be inserted, namely:-

"FORM "AA"

(See rule 24)

Form of application for grant of licence or renewal of a licence to sell stamps under the Rajasthan Stamp Act, 1998.

o For new licence o For renewal

1. Applicant's name in full and residential address
2. Date of Birth
3. Place of vend where the applicant desires to vend stamps :
   - Place
   - Town
   - Tehsil
   - District
4. Educational Qualifications
5. Extent of amount which the applicant invest in purchasing stamps from treasury
6. Present occupation, if any
7. Whether applicant wants to work as stamp vendor on part time basis, or full time basis
8. Name and address of relative, if any practicing as a document writer or stamp vendor (stating relationship) on the date of giving the application
9. Whether convicted of any criminal offence or removed from Government/Private service (give particulars)
10. Mobile number
11. e-Mitra ID, if any

Save & Proceed to Payment	Cancel

GRN No. [ ] Amount [ ]

Upload Documents

Photo	10th Marksheet	Police Verification	Bonafide Residence Certificate

Character Certificate | e-Mitra Licence

Submit

NOTE:

Upload the copies of the following documents:-

1. e-GRAS challan in support of having credited the prescribed fee.
2. copy of previous licence in case of renewal of licence.
3. certificate in support of date of birth.
4. marksheet of the secondary examination or an equivalent examination.

I declare that I have carefully read the Rajasthan Stamp Rules, 2004 and terms and conditions of licence in Form B and I agree to abide by them.

Place : ....

Date : ....

Signature of applicant"

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-117]

By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)

Joint Secretary to the Government